अपील सूचना अधिकार संख्या 89/2020 (GCMS 2020/00160) राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 70 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

08.02.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुआ और कथन किया कि उसने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 25.06.2020 से चार बिन्दुओ की सूचना चाही थी जो लोकसूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय अवधि में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी पर 25000/– रूपये शास्ति अधिरोपित कर हर्जाना उसे दिलवाये जाने एवं वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 25.06.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

1. आपके पत्रांक ईआरओ/गंगा/2014 दिनांक 02.04.2014 पत्रांक 557 जो बीएलओ भाग संख्या 80 श्री सुभाष गोयल को विधानसभा 2013 के सम्बन्ध में लिखा गया या उसकी सूचना व पत्रांक की प्रमाणित प्रति।
2. उक्त पत्रांक के जबाव में जो–जो कार्यवाही जिस–जिस कर्मकार व अधिकारी द्वारा की गयी उसका नाम व पद की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
3. पत्र के सन्दर्भ में बीएलओ द्वारा दिये गये जवाब की सूचना व जवाब की प्रमाणित प्रति।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

4. आदर्श आचार सहितां के पत्रांक 29 दिनांक 31.03.2014 के पत्रांक की सूचना व पत्रांक की प्रमाणित प्रति। जो आपके कार्यालय को प्रभारी आदर्श आचार संहिता ने लिखा है।

उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक आरटीआई/2020/1155 दिनांक 14.09.2020 से प्रार्थी को निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई है :

> अपीलार्थी द्वारा श्रीमान जी के न्यायालय में प्रथम अपील दिनांक 20.08.2020 को की गयी है जबकि अपीलार्थी द्वारा जिस प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में प्रथम अपील श्रीमानजी के न्यायालय में पेश की है वह प्रार्थना पत्र दिनांक 08.09.2020 तक इस कार्यालय में पेश ही नही किया है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही अपील पेश की गयी है कृपया अपील को निरस्त कर दाखिल दफ्तर करने की कृपा करें।
>
> -sd-
> उपखण्ड अधिकारी
> श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 25.06.2020 का लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को दिनांक 08.09.2020 तक प्राप्त ही नहीं

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

हुआ था। जबकि प्रार्थी ने यह प्रथम अपील दिनांक 20.08.2020 को इस न्यायालय में पेश की थी और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) का प्रार्थना पेश करने की दिनांक से 30 दिवस बाद ही प्रार्थी अपील पेश कर सकता है। अपीलार्थी द्वारा धारा 6(1) के प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व अपील पेश करने के कारण सुनवाई योग्य नहीं है। इसलिए यह अपील इसी आधार पर खारिज की जाती है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। **आदेश की उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर